भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 296

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची

296. **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची का कोई व्यापक अद्यतन संस्करण वर्ष 2018 से प्रकाशित नहीं किया गया है और यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार शीघ्र ही एक अद्यतन और समेकित सूची जारी करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2018 से केंद्रीय ओबीसी सूची में कुछ विशिष्ट जातियों या समुदायों को जोड़ा या संशोधित किया गया है और यदि हाँ, तो सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद मंत्रालय ने ओबीसी वर्गीकरण का पूर्ण संशोधन या राष्ट्रव्यापी समीक्षा क्यों शुरू की है;

(घ) मंत्रालय वर्ष 2021 के संशोधन के माध्यम से ओबीसी की पहचान करने के राज्यों के अधिकारों की पुनः पुष्टि और केंद्रीय सूची में पात्र समुदायों के सामंजस्य और समय पर समावेश सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रहा है; और

(ङ) वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा इस सूची में शामिल करने, सूची से बाहर निकालने या सूची में संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और संख्या क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत पर कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018, जो 11.08.2018 को लागू हुआ था, के बाद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेशन/अपवर्जन भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 ने राज्यों को अपनी सूची के लिए ओबीसी की पहचान करने की शक्ति बहाल कर दी है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने 09 (नौ) सलाहें प्रस्तुत की हैं।

*****